महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

पासपोर्ट प्राप्त करने/पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन APPLICATION FOR ISSUE OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE' TO OBTAIN A PASSPORT / RENEWAL OF PASSPORT

1.	नाम Name पदनाम Designation अनुभाग Section	:	
2.	पिता/पति का नाम Name of Father/Husband	:	
3.	स्थाई अथवा आस्थाई Whether permanent or temporary	:	
4.	जन्म तिथि Date Of birth	:	
5.	सेवा में आने की तिथि Date of Entry into Service	:	
6.	अधिवर्षिता की तिथि Date of Superannuation	:	
7.	आवेदक की शैक्षिक योग्यता Educational Qualifications of the applicant	:	
8.	यात्रा का उद्देश्य Purpose of Visit	:	
9.	यात्रा की अवधि Duration of Visit	:	
10.	यात्रा के लिए प्रस्तावित देश Countries proposed to be Visited	:	
11.	पुराने पासपोर्ट के विवरण (नवीनीकरण के मामले में) Details of old Passport (in case of renewal)		
	पासपोर्ट सं/Passport Number जारी करने की तिथि/ Date of Issue	:	
12.	उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ पदाधिकारी रुकेगा Particulars With full address of persons with Whom the official will be staying	:	
13.	मद सं 12 में इंगित व्यक्ति के साथ पदाधिकारी का संबंध Relationship of official with the persons indicated Against (12)	:	

14. अनुमानुत व्यय Estimated Expenditure

 (1) यात्रा व्यय/Passage
 (2) विदेश में रुकने के दौरान/During stay abroad

15. यात्रा के लिए वित्तपोषण का स्रोत

 Source of Finance for the trip

16. अन्य कोई सचना जो आवेदक देना चाहता हो

Any other information which the applicant may like to add

घोषणा/DECLARATION

मैं	ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधान को पढ़ा है और मै यह घोषणा
करता हूँ, कि अधिनियम की धारा 6(2) बताए	ए गए निम्नलिखित आधार मेरे मामले में लागू नहीं करेंगे :
	, पासपोर्ट अधिकारी धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन विदेश जाने के लिए प्रलिखित किसी एक या अधिक कारण से और किसी अन्य कारण से मना कर सकता है"
	read the provision of Section 6(2) of Passport Act, 1967 and I hereby bunds mentioned in Section 6 (2) of the Act, will not attract in my case:

"Subject to the other provisions of this Act, the Passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (c) of sub-section (2) of section 5 on any one or more of the following grounds, and on no other ground, namely:

- अ) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है; that the applicant is not a citizen of India;
- आ) कि आवेदक भारत के बाहर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की पूर्वाग्रही गतिविधियों में संलग्न है या हो सकता है; that the applicant may, or is likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
- इ) कि आवेदक का, भारत से प्रस्थान भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है या हो सकता है; that the departure of the applicant from India may, or is likely to, be detrimental to the security of India;
- ई) कि आवेदक की भारत के बाहर उपस्थिति, किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के मैत्री संबंधों का पूर्वाग्रह की संभावना है या हो सकती है;
 - that the presence of the applicant outside India may, or is likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country;
- 3) कि आवेदक, उनके आवेदन की तारीख से पहले के ठीक पाँच साल की अविध के दौरान भारत के किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया और अपराध की सजा के संबंध में दो साल से कम नहीं, की सजा दी गई; that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, been convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years
- ऊ) कि आवेदक द्वारा किये गये आरोपित अपराध के संबंध में भारत के फ़ौजदारी अदालत के समक्ष कार्यवाही लंबित है; that proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a criminal court in India;
- ऋ) कि आवेदक को किसी कानून के तहत न्यायालय द्वारा वारंट या उपस्थिति के लिए सम्मन, या गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है जो उस समय लागू हैं या ऐसी किसी अदालत द्वारा आवेदक के भारत से जाने पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है; that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has been made by any such court;

- ल्) कि आवेदक को संप्रत्यावर्तित किया गया है और इस तरह के संप्रत्यावर्तन के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है; that the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation;
- ऍ) कि केन्द्र सरकार की राय में आवेदक को पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज जारी करना लोक हित में नहीं होग"। that in the opinion of the Central Government the issue of a Passport or travel document to the applicant will not be in the public interest".

मैं समझता हूं, कि विभागाध्यक्ष द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करना मुझे छुट्टी, जो कि छुट्टी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णत की जानी है, की मंजूरी का हकदार नहीं करता है । मैं एतद्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य, सही और पूर्ण हैं।

I understand that the issue of 'No Objection Certificate' by the Head of the Department does not entitle me to the grant of leave, which is to be decided by the appropriate leave granting authority. I hereby declare that the particulars given above are true, correct and complete

स्थान/Place	:	
दिनांक/Date	:	आवेदक के हस्ताक्षर
		Signature of Applicant

प्रशासन अनुभाग के उपयोग हेतु/ FOR USE IN ADMINISTRATION SECTION

कृपया गोपनीय कक्ष द्वारा सत्यापित जाए कि उपरोक्त पदाधिकारी के विरुध क्या कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामले लंबित या विचाराधीन हैं । वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संदर्भ में उनकी सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाए ।

C.Cell may please verify whether any vigilance/disciplinary cases are pending or contemplated against the above official. His/Her integrity may also be certified with reference to Annual Confidential Reports.

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/ AAO/Admn.

गोपनीय कक्ष की अभियुक्तियां/ Remarks of C.Cell							
यदि अनुमोदन हो, तो श्र	ो/श्रीमतीः	को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाए ।					
We may, if approved, issue	may, if approved, issue No Objection Certificate to Shri./Smt.						
स.ले.प.अ.(प्रशा.)	व.ले.प.अ.(प्रशा.)	व.उ.म.ले.(प्रशा.)					
AAO(Admn.)	Sr.AO(Admn.)	DAG(Admn.)					